कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, दौसा

श्री रामकरण बैरवा पुत्र श्री रामहेत बैरवा निवासी ग्राम चीमापुरा तहसील बसवा जिला दौसा राजस्थान

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा/उपखंड अधिकारी बांदीकुई/तहसीलदार बसवा जिला दौसा

अपील संख्या 32/2022

निर्णय

दिनांक 21.04.2022

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा जिला दौसा से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वांछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा जिला दौसा को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर अपीलांट को वांछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जांच टिप्पणी मंगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखड अधिकारी बांदीकुई/तहसीलदार बसवा से संबंधित है। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को पत्र कमांकः डीएम/कोर्ट/2022/5798 दिनांक 24.03.2022 के द्वारा अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा जिला दौसा ने पत्र कमांकः आरटीआई/2022/352 दिनांक 06.04.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई व लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बसवा से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) में स्थानान्तरित किया गया था। लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई को इस कार्यालय के पत्र कमांकः 696 दिनांक 08.04.2022 के द्वारा अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किये गये। लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई द्वारा बाद निर्देशों के अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई/तहसीलदार बसवा जिला दौसा को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलांट को वांछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे। संबंधित को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.05.25 10:29:52 IST
Reason: SelfAttested

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official